75

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

एफ.8(8)आ.प्र.एवं स.आ./आ.प्र./04/ 5957-66 जयपुर, दिनांक 10.3.10

प्रमुख शासन सचिव/सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग/
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग/
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/
जल संसाधन विभाग/उर्जा विभाग/
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/पर्यटन विभाग/उद्योग विभाग/
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग/पशुपालन विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषय–भूकम्परोधी निर्माण सुनिश्चित करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसरण में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भूकम्प आपदा प्रबन्धन के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया है कि भविष्य में होने वाले समस्त निर्माण कार्य भूकम्परोधी हों तथा पूर्व में निर्मित जीवन उपयोगी संरचनाऐं/निर्माण (जैसे अस्पताल , स्कूल भवन, प्रमुख सरकारी भवन, जल, विद्युत एवं सिंचाई संरचनाए , पुल इत्यादि) की भूकम्परोधी क्षमता का आकलन करवा, योजनाबद्व तरीके से उनका सुदृढीकरण किया जाना है ताकि भूकम्प जैसी आपदा घटित होने पर कम से कम जन व धन हानि हो। अतः इस संबंध में सभी आवश्यक नियमों में तत्काल संशोधन किया जाकर भूकम्प आपदा प्रबन्धन किया जाना सुनिश्चित करें।

9/3/10
शासन सचिव